प्रेस नोट थाना रसूलपुर दिनांक 06.12.2025 जनपद फिरोजाबाद।

थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्तों को चोरी किये गये 60,000/- (साठ हजार) रुपये, चोरी के आभूषण एवं चोरी करने में प्रयुक्त 01 कार की बरामदगी सहित किया गया गिरफ्तार।

- **अभियुक्तगण द्वारा सवारियों को कार में बैठाकर दिया जाता था चोरी की घटनाओं को अंजाम।**
- **अभियुक्तगण घटना के लिये करते थे फर्जी नम्बर प्लेट लगी कार का इस्तेमाल।**
- **अभियुक्त दीपक गाड़ी को चलाया करता था तथा सहअभियुक्त अरविन्द कार में बने गुप्त कम्पार्टमेंट में छिपा रहकर चोरी की घटना को कारित करता था।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 60,000/- रुपये, चोरी के आभूषण एवं चोरी करने में प्रयुक्त 01 कार बरामद।।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 554/25 धारा 305(ग) बीएनएस0 की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए वांछित अभियुक्तगण 1.दीपक पुत्र अनिल व 2.अरविन्द पुत्र सुन्दर लाल को फतेहाबाद रोड़ पर बरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 60,000 रुपये, 01 हार (पीली धातु), 01 अंगूठी (पीली धातु), 01 मांग टीका (पीली धातु) व चोरी करने में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुये हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/318(4) बीएनएस0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 04.12.2025 को वादी संतोष कुमार पुत्र गिरजाशंकर निवासी गौरी नगर भदावर स्कूल के पास थाना हीरा नगर इन्दौर मध्य प्रदेश द्वारा थाना रसूलपुर पर अपनी पत्नी के शादी समारोह में जनपद आगरा से जनपद फिरोजाबाद जाते समय किराए पर की गयी कार में रखे बैग में से आभूषण चोरी हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर देकर मु0अ0सं0 554/25 धारा 305(ग) बी.एन.एस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपक पुत्र अनिल व अरविन्द पुत्र सुंदर लाल का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कार को किराए पर चलाया करते थे। जिसमें अभियुक्त दीपक कार चालक का कार्य करता तथा सहअभियुक्त अरविन्द पूर्व से ही कार में बने गुप्त कम्पार्टमेंट में छिपा रहता था व कार की डिग्गी में रखे सवारी के बैग आदि से कीमती सामान एवं रुपयों की चोरी कर घटनाओं को अंजाम दिया करता था।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. दीपक पुत्र अनिल निवासी राजपूत मौहल्ला फतेहाबाद थाना फतेहाबाद जिला आगरा हाल पता किराये का मकान छारबाग रामनगर थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।
2. .अरविन्द पुत्र सुन्दर लाल निवासी सैक्टर नं0 2/194 सुहागनगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 हार (पीली धातु)
2. 01 अंगूठी (पीली धातु)
3. 01 मांग टीका (पीली धातु)
4. चोरी किये गये 60,000/- रुपये नगदी।
5. 01 कार मरुति स्विफ्ट (रंग सफेद चेसिस नं0 MA3FSEB1S00357131)
6. 02 फर्जी नम्बर प्लेट

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक-

1. मु0अ0सं0 120/17 धारा 323/342/363/376/506 भादवि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।
2. मु0अ0सं0 177/20 धारा 174ए भादवि0 थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।
3. मु0अ0सं0 560/15 धारा 18/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरविन्द-

1. मु0अ0सं0 215/16 धारा 406/504/506 भादवि0 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 327/17 धारा 406/420/504/506 भादवि0 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 प्रदीप कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 निशान्त कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 ऋषभदेव भारद्वाज थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
4. है0कां0 427 प्रणवीर सिंह थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
5. है0कां0 267 राहुल थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
6. है0कां0 623 पुष्पेन्द्र सिंह थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
7. कां0 123 भूपेन्द्र सिंह थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
8. कां0 950 फिरोज आलम थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
9. कां0 733 सद्दाम थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।